0172-2704942

प्रेषक

निदेशक, नगर विकास,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

कार्यकारी अधिकारी/सचिव,
सभी नगर परिषद/पालिकायें, हरियाणा राज्य ।

यादी क्रमांक: पी.ए-II-2002/ 17127-93
दिनांक: 26-4-02

विषय:- हरियाणा राज्य के सेवा निवृत कर्मचारियों के पैंशन केस स्वीकृत करने बारे तथा पैंशन केस जारी करने हेतु प्रस्ताव समय पर भेजने बारे ।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

2. प्रसंगत मामले में आपका ध्यान निदेशालय के समय-2 पर जारी हिदायतों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिस पर आपको निर्देशित किया गया था कि सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों के पैंशन पेपर सेवा निवृति से दो वर्ष पूर्व तैयार करने शुरू किये जावें तथा सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों का पैंशन केस स्वीकृति हेतु निदेशालय में सेवा निवृति की तिथि से छः मास पूर्व भेजा जाये । इस सम्बन्ध में आपका ध्यान हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी पैंशन तथा सामान्य भविष्य निधि नियम 1993 के नियम 6 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके मध्यनजर जी.पी.एफ. लेखों में से 31.3.93 तक का पैंशन शेयर पूर्ण नहीं भेजा गया है तथा जो राशि भेजी गई थी, वह लगभग 40% भेजी गई है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं को भी मध्यनजर नहीं रखा गया:-

1. पालिकाओं द्वारा जो राशि भेजी गई, वह राशि देरी से और कम भेजी गई, जिसके फलस्वरूप यदि पैंशन स्वीकृत करते समय निदेशालय द्वारा पैंशन अंशदान की मांग की जाती है, तो नगरपालिका को चाहिए कि पैंशन अंशदान एक सप्ताह के अन्दर-2 निदेशालय को भिजवाये । ऐसा न करने पर पैंशन केस अधूरा माना जायेगा और यदि कर्मचारी कोर्ट का सहारा लेता है, तो उसके पूरे जिम्मेवारी व्यक्तिगत तौर पर नगरपालिका अधिकारी के होंगे ।

2. पेंशन केस निदेशालय को पेंशन स्वीकृत करने के लिए भेजने से पहले ध्यानपूर्वक देख लेवें कि पेंशन बारे विकल्प फार्म भेजा जा रहा है या नहीं । यदि पेंशन केस के साथ विकल्प फार्म उपलब्ध नहीं है और निदेशालय द्वारा मांगने पर नगरपालिका एक सप्ताह के अन्दर-2 विकल्प फार्म उपलब्ध नहीं करवाती, तो ऐसी स्थिति में, एक सप्ताह प्रतीक्षा करने उपरान्त निदेशालय पेंशन स्वीकृति हेतु कार्यवाही कर लेगा और यदि किसी समय भी भविष्य में विकल्प फार्म हेतु कोई कानूनी अड़चन आती है, तो सम्बन्धित नगरपालिका अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होगा ।

3. पेंशन नियम 1993 के नियम 11 (3) के प्रावधानों को मद्देनजर एक पालिका से दूसरी पालिका में ट्रांसफर हुए कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि भी एक मास के अन्दर सम्बन्धित पालिकाओं को ब्याज सहित ट्रांसफर की जाये ।

4. सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों के पेंशन केस सेवा निवृत्ति की तिथि से 6 मास पूर्व हर अवस्था में निदेशालय में भिजवाये जायें । पालिकाओं के सचिवों को पालिका के सेवा निवृत कर्मचारियों के पेंशन केसों के निपटारे हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था यह हिदायत की गई थी कि प्रत्येक मास के प्रथम सोमवार को पेंशन केसों के निपटारे हेतु सचिव द्वारा मीटिंग की जाये, जिसकी पालना नहीं की जा रही है । पालिकाओं को निर्देशित किया जाता है कि पेंशन केसों हेतु की गई मीटिंग की कार्यवाही प्रत्येक मास की 10 तारीख तक निदेशालय को भेजी जाये, जिसमें सभी लम्बित केसों का ब्यौरा, आगामी 6 मास में सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा भेजा जाये ।

5. पेंशन केसों के प्रत्येक फार्म पर पेंशनर एवं कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा जहां हस्ताक्षर किये जाते हैं, वहां पर तिथि अवश्य डाली जावे तथा फार्म भी पूर्ण रूप से भरे जायें ।

6. पारिवारिक पेंशन के केसों में मृत्यु प्रमाण पत्र, दूसरी शादी न करने बारे प्रमाण पत्र, नौकरी करने या न करने बारे प्रमाण पत्र तथा परिवार के सदस्यों द्वारा मृतक के एरियर की राशि पेंशनर को देने बारे प्रमाण पत्र नहीं भेजे जाते हैं, जो कि अवश्य भेजे जावें ।

7. पेंशन अंशदान का वर्षवार ब्यौरा पेंशन केस के साथ तैयार करके नहीं भेजा जाता है। पालिकाओं द्वारा ऑप्शन फार्म पेंशन केसों के साथ नहीं भेजा जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 1/5 1/521-01-एफ.आर.-II, दिनांक 20.2.2002 (प्रति संलग्न) द्वारा जारी हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये। इन हिदायतों में यह प्रावधान है कि यदि किसी केस में सेवा निवृति लाभ की स्वीकृति और भुगतान तीन माह तक नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में सेवा निवृति की तिथि से भुगतान की तिथि तक का भुगतान ब्याज सहित किया जायेगा और यदि स्वीकृति और भुगतान सेवा निवृत तिथि से छः मास तक भी नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में सेवा निवृत कर्मचारी/पैंशनर को छः माह के बाद जो भी ब्याज भुगतान दिया जायेगा, उसके लिए वह कर्मचारी व्यक्तिगत तौर से उत्तरदायी होगा, जिसके कारण से स्वीकृति/भुगतान में देरी हुई है। इसके साथ ही आपके ध्यान में यह बात भी लाई जाती है कि भविष्य में कोई भी कर्मचारी उपरोक्त बिन्दुओं को दृढ़ता से पालना नहीं करेगा, इसके लिए वह पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा।

उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित की जाये।

Sanjeev Chopra

कृते: निदेशक, नगर विकास, 24/04/02
हरियाणा, चण्डीगढ़।

24/4/2002

Please Deliver to Mr. 0172-2704942
Amrihal (Pension Branch).

प्रेषक

निदेशक, नगर विकास,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Actt
MK 5/8

सेवा में

कार्यकारी अधिकारी/सचिव,
सभी नगर परिषद/पालिकायें, हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांक: पी.ए-II-2002/39516-82
दिनांक: 30-7-02

1460
5/8/02

विषय:- हरियाणा राज्य के सेवा निवृत कर्मचारियों के पैंशन केस स्वीकृत करने बारे तथा पैंशन केस सम्बन्धी हिदायतें जारी करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. प्रासंगिक मामले में आपका ध्यान निदेशालय के समसं-2 पर जारी हिदायतों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिस पर आपको निर्देशित किया गया था कि सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों के पैंशन केस स्वीकृति हेतु निदेशालय में सेवा निवृति की तिथि से छः मास पूर्व भेजा जाये। सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों के पैंशन केस सेवा निवृति की तिथि से छः मास पूर्व हर अवस्था में भिजवाये जायें। पालिका के सचिवों को पालिका के सेवा निवृत कर्मचारियों के पैंशन केसों के निपटारे हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था तथा यह हिदायत की गई थी कि प्रत्येक मास के प्रथम सोमवार को पैंशन केसों के निपटारे हेतु सचिव द्वारा मीटिंग की जाये, जिसकी पालना नहीं की जा रही है।

पैंशन केस समय पर स्वीकृत न होने के कारण तथा सेवा निवृति से सम्बन्धित सभी अदायगियां समय पर न होने के कारण सेवा निवृत कर्मचारी कोर्ट का सहारा लेता है और नगरपालिकाओं पर अतिरिक्त वकील की फीस का भार बढ़ता जा रहा है और कोर्ट द्वारा यदि किसी प्रकार का दण्डात्मक ब्याज लगाया जाता है, उसकी सारी जिम्मेवारी कार्यकारी अधिकारी की होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 1/11528-01-2एफ.आर-II, दिनांक 20.2.2002 द्वारा जारी हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये, जिसकी प्रति इस निदेशालय के पत्र

....2....

क्रमांक पी.ए-II-2002/17127-93, दिनांक 26.4.2002 द्वारा भेज दी गई थी । इन हिदायतों में यह प्रावधान है कि यदि किसी केस में सेवा निवृति लाभ की स्वीकृति और भुगतान तीन माह तक नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में सेवा निवृति की तिथि से भुगतान की तिथि तक का भुगतान ब्याज सहित किया जायेगा और यदि स्वीकृति और भुगतान सेवा निवृत तिथि से 6 मास तक भी नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में सेवा निवृत कर्मचारी/पैंशनर को छः माह के बाद जो भी ब्याज भुगतान दिया जायेगा, उसके लिए वह कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होगा, जिसके कारण से स्वीकृति/भुगतान में देरी हुई है। इसके साथ ही यह भी आपको हिदायत दी जाती है कि भविष्य में कहीं भी जवाबदावा फाईल किया जाना हो, तो उस जवाबदावा के सम्बन्ध में पहले निदेशालय में सहायक जिला न्यायवादी अधिकारी से मन्त्रणा/स्वीकृति लेने उपरान्त ही न्यायालय में दाखिल किया जाये, ताकि विवादग्रस्त से बचा जा सके।

उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये ।

लेखा अधिकारी,
कृते निदेशक, नगर विकास, हरियाणा

पृ0 क्रमांक: पी.ए-II-2002/31583 दिनांक: 30-7-02

एक प्रति सहायक जिला न्यायवादी, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

लेखा अधिकारी,
कृते निदेशक, नगर विकास, हरियाणा ।

30-7-2002

प्रेषक

निदेशक, नगर निकाय,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

1- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. कार्यकारी अधिकारी/सचिव,
सभी नगरपरिषद/नगरपालिकायें, हरियाणा राज्य।
3. सभी आर.ए.ओ./एस.ए.ओ. हरियाणा राज्य की नगर परिषद/नगरपालिकायें।

पत्र क्रमांक: पी.एन.-II-2002/ 53242-308
दिनांक: 22/8/02

विषय:- हरियाणा राज्य के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन केस स्वीकृत करने बारे तथा पेंशन केस जारी करने हेतु प्रस्ताव समय पर भेजने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

2. प्रसंगत मामले में आपका ध्यान निदेशालय के समय-2 पर जारी हिदायतों की ओर आकर्षित किया जाता है। पालिकाओं के पेंशन केसिज को तत्परता से निपटाने हेतु पेंशन केसिज न तो निर्धारित समय अवधि में तैयार किये जाते हैं और न ही पूर्णरूप से तैयार करके भेजे जाते हैं और जब निदेशालय द्वारा पेंशन केसिज का निरीक्षण किया जाता है, तो कई प्रकार की विसंगतियां/त्रुटियां पाई जाती हैं, जिन्हें दूर करवाने हेतु वापिस भेजा जाता है और इस प्रकार से केसिज को निपटाने में अनावश्यक देरी होती है। पेंशन केसों को निपटाने हेतु तथा पेंशन केस पालिकाओं से भेजने हेतु निम्नलिखित सुझाव है:-

1. पेंशन केस के साथ पालिकाओं द्वारा आवेदन फार्म पूर्ण रूप में नहीं भेजा जाता है। पेंशन और ग्रेच्युटी का आधार ब्यौरा पेंशन केस के साथ सेवा पंजी के आधार पर तैयार करके नहीं भेजा जाता तथा केन्द्रीय विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र का आधार

7. पैंशन केसों के प्रत्येक कागज के कालमों को भरा जाये तथा पैंशन केसों के प्रत्येक कागज पर पैंशनर एवं कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा जहां हस्ताक्षर किये जाते हैं, वहां पर तिथि अवश्य डाली जाये तथा कागज भी पूर्ण रूप से भरे जायें।

8. पारिवारिक पैंशन के केसों में मृत्यु प्रमाण पत्र, दूसरी शादी न करने बारे प्रमाण पत्र, नौकरी करने या न करने बारे प्रमाण पत्र तथा परिवार के सदस्यों द्वारा मृतक के एरियर को राशि पैंशनर को देने बारे प्रमाण पत्र नहीं भेजे जाते हैं, जो कि अवश्य भेजे जायें।

9. सभी पालिकायें पैंशन से सम्बन्धित परीक्षण सूची (चैकलिस्ट) जिसकी प्रति संलग्न है, भविष्य में प्रत्येक केस इस परीक्षण सूची के अनुसार पूर्ण रूप से तैयार करके भेजें। अधूरा केस किसी भी अवस्था में आर.ए.ओ./एस.ओ. को प्रस्तुत न किया जाये। यदि निदेशालय में कोई भी पैंशन केस परीक्षण सूची की दृष्टि में अपूर्ण प्राप्त हुआ, तो सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी/सचिव तथा आर.ए.ओ./एस.ओ. पूर्ण रूप से अनुशासनिक कार्यवाही के जिम्मेवार होंगे।

उपरोक्त [illegible] हरियाणा सरकार के पत्र [illegible] दिनांक [illegible] निर्देशों की दृढ़ता से [illegible] हिदायतों में यह प्रावधान है कि यदि किसी केस में सेवा निवृति लाभ की स्वीकृति और भुगतान तीन माह तक नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में सेवा निवृति की तिथि से भुगतान की तिथि तक [illegible] भुगतान ब्याज सहित किया जायेगा और यदि स्वीकृति और भुगतान [illegible] माह तक भी नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में [illegible] भुगतान [illegible] किया गया होगा, जिसके [illegible] स्वीकृति/भुगतान में देरी हुई है। इसके [illegible] में यह [illegible] है कि भविष्य में कोई भी कर्मचारी [illegible] नहीं करेगा, इसके लिए यह पूर्ण रूप से [illegible] उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से [illegible] जाये।

लेखा अधिकारी,
कृते: निदेशक, नगर निकाय,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

ब्यौरे में नहीं दर्शाया जाता ।

2\. पेंशन के केसिज में सेवा पुस्तिका का सत्यापन एक महत्वपूर्ण कार्यवाही है । सेवा पुस्तिका के सत्यापन के साथ पेंशन अंशदान पूर्ण रूप से पेंशन फण्ड में जमा करवा दिया गया है, के बारे में आर.ए.ओ/एस.ओ. जैसी भी स्थिति हो, के पूर्ण प्रमाणपत्र के बिना कोई भी केस निदेशालय में न भेजे जायें । इस लिए यह आवश्यक है कि कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा आर.ए.ओ/एस.ओ. को पेंशन केस प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पेंशन केस में अंशदान की राशि पेंशन फण्ड में पूर्ण रूप से जमा करवा दी गई है ।

3\. सभी पालिकाओं/परिषदों के कार्यकारी अधिकारी/सचिव तथा आर.ए.ओ/एस.ओ. प्रत्येक मास में 2 बार अर्थात मास के प्रथम सप्ताह तथा अन्तिम सप्ताह में पेंशन सम्बन्धी केसिज के लिए संयुक्त रूप से रिव्यू चैक करेंगे और चैक की कार्यवाही निदेशालय में उसी दिन फैक्स द्वारा भेजी जाये, ताकि निदेशालय को बराबर यह जानकारी मिलती रहे, कि पालिका में पेंशन केसिज की क्या स्थिति है ?

4\. कर्मचारी के विलम्बित केसों की सेवा पंजी में ड्यूटी या न ड्यूटी करने बारे सही प्रकार से दर्शाया जाना चाहिए ।

5\. सेवा निवृत्ति के आदेश पेंशन के साथ संलग्न होने चाहिए तथा सेवा पंजी में दर्शाया जाना चाहिए । हरियाणा म्युनिसिपल पेंशन नियम 1993 के नियम 12 (5) के प्रावधानों के मध्यनजर एक पालिका से दूसरी पालिका में ट्रांसफर हुए कर्मचारियों के भविष्य निधि की राशि भी एक मास की अवधि में सम्बन्धित पालिकाओं को ब्याज सहित ट्रांसफर की जायें ।

6\. सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन केस सेवा निवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्व हर अवस्था में निदेशालय में भिजवाये जायें । यदि उनमें त्रुटियाँ हों, तो एक मास में पूर्ण करवा दी जाये, जिससे पेंशन की स्वीकृति समय पर हो सके ।

FAX NO. : 27 Jun. 2009 04:24 P 1

No. 68/2/2001/FD/Pension/SAP

[illegible] Financial Commissioner & Principal Secretary [illegible] Government Haryana, Finance Department.

[illegible] All Heads of Departments, [illegible] Commissioners of Divisions.

All Deputy Commissioners and Sub Divisional [illegible] (Civil) in Haryana State.

[illegible] Registrar, Punjab and Haryana [illegible] Court, Chandigarh.

[illegible], Chandigarh the 2nd June,2005.

[illegible] Schedule for payment of retiral benefits to the retiring [illegible] employee on the date of his retirement.

[illegible] directed to invite a reference to instructions issued vide [illegible] letter no. 68/2/2001/FD/Pension/SAP, dated 3.9.01 [illegible] that the pension case after removing the objections [illegible] Haryana in the C & R should be resubmitted to the A.G., [illegible] days before retirement of the employee concerned along [illegible] the No Dues Certificate for the issue of pension/gratuity payment [illegible] on the date of his retirement. It has, however, been brought out by [illegible] A.G.(A&E) Haryana that "No Dues Certificate" is not being issued [illegible] reply to the C & R resulting thereby delay in the issue of [illegible] payment order. After due consideration it has now been [illegible] of Department/Head of Office will invariably issue NDC [illegible] to C & R and if any amount is to be recovered from the [illegible] clearly mentioned in the NDC. The [illegible] would deduct the recoverable amount from the [illegible] the residual amount without delay. In case NDC is [illegible] with reply to C & R, it would be presumed that nothing [illegible] the A.G. Office would issue the authority for release of [illegible] DCRG. Later on if it is found that any amount was [illegible] the retiree, the same will be recovered from the [illegible] Drawing & Disbursing Officer.

[illegible] of Department/Heads of Office may ensure that joint [illegible] pensioner and his/her spouse should be attested by [illegible] Authority on the face of the photograph.

[illegible] are requested that the above instructions may please be [illegible] brought to the notice of all the officers/officials dealing with [illegible] under your control for strict compliance.

Yours faithfully,

Under Secretary Finance (Pension),
for Financial Commissioner & Principal Secretary to
Government Haryana, Finance Department.

Acctt

12
3/7

Government of Haryana
Finance Department,
No. [illegible] FR II
Dated, Chandigarh, the 20th of Feburary,2002.

Office Memorandum

Payment of interest on delayed retiral benefit.

The undersigned is directed to address the subject noted above and to say that the [illegible] has issued following instructions in respect of payment of interest on delayed [illegible]

Reference Number	Subject
No. 1/4(5)-79-2 FR II, Dt.the 9th March,1981	Payment of interest to retired employees if the payment of DCRG is delayed.
No. [illegible] dated the 15th October 1984	Payment of [illegible] to a retired Government employee on delayed payment of gratuity.
No. [illegible] Dated the 12th Feb.90	Payment of interest on pension dues revised as a result of inclusion of special pay Towards pay for determining the pension.
No. 1/2(7)-[illegible]-2FR II dated the 24th October, 1991	On commutation of pension on the enhanced payment consequent upon addition of special pay in the total emoluments.

Af(P)
[illegible] 05/XII/13

A2

[illegible] been observed that in certain cases of retiring employees, the retiral benefits on [illegible] have encashment etc. get delayed causing inconvenience to the [illegible] though Government has been issuing instructions from time to time, delays in [illegible] thereof are [illegible]. In certain cases, the retired employees approach the [illegible] payment of all such retiral benefits alongwith interest for the period of delay. It [illegible] observed that the courts have been allowing interest at varying rates from 12% to [illegible] delayed payments.

[illegible] speaking, an employee should get all his retiral benefits on the date of [illegible] the procedures involved, both on the parts of employees as [illegible] some delays might take place. The matter has been considered in [illegible] and it has been decided that three months time from the date of retirement [illegible] a reasonable period for processing of all such claims and payment thereof to the [illegible]. In case the retiral benefits are paid within this period of three months from the [illegible] no interest would be payable on the same.

[illegible] where the delay exceeds a period of three months in settlement and payment of [illegible] benefits, the same should be paid alongwith interest calculated from the date of [illegible] till the date of payment. Wherever the delay in settlement and payment of retiral [illegible] beyond a period of six months from the date of retirement, the interest should be paid to [illegible] employee/pensioner but the interest amount beyond a period of six months should be [illegible] from the employee(s) responsible for causing such delay.

[illegible] however, these instructions would not be applicable in cases payment of retiral benefits is [illegible] on account of disciplinary proceedings pending against the said employee at the time of [illegible]. A further issue would also arise regarding payment of interest on the retiral [illegible] in case of such employees who are facing disciplinary proceedings at the time of their [illegible] superannuation from Government service. These cases should be decided in the [illegible] manner:-

retirement/superannuation from Government service. These cases should be decided in the following manner:-

(i) In the case of an employee against whom disciplinary proceedings are pending at the time of retirement and the employee is clearly exonerated and steered clear of all the charges during the process of disciplinary proceedings and proved innocent, the retiral benefits due to him should be paid along with interest from the date of retirement till the date of payment.

(ii) In case of an employee against whom disciplinary proceedings are pending at the time of retirement, and the said employee is held guilty, partially or fully, of the charges leveled against him, no interest would be payable on the retiral benefits in his case till a period of three months from the date of final decision on the disciplinary proceedings. If the delay in these cases is beyond a period of 3 months of the date of decision on disciplinary proceedings and the employee concerned has completed the formalities on his part, interest on such dues may also be allowed from the date of decision of disciplinary proceedings till the date of payment

(iii) In case of an employee against whom disciplinary proceedings are dropped on account of lack of evidence (i.e. he is not proved innocent) or disciplinary proceedings are dropped only on the grounds that the employee has retired, no interest would be payable on the retiral benefits in his case till a period. Of three months from the date of final decision on the disciplinary proceedings. If the delay in these cases is beyond a period of 3 months of the date of decision on disciplinary proceedings and the employee concerned has completed the formalities on his part, interest on such dues from the date of decision of disciplinary proceedings till the date of payment may also be allowed.

6. The issue pertaining to the admissible rate of interest in these cases has also been considered. It has been observed that the interest rate regime remains volatile and it keeps on changing from time to time in view of the economic and monetary policies in force at various points in time. In the face of changing scenario in this respect, it has been decided, in supersession of all instructions issued on the subject here-to-before, that the rate of interest admissible in all these cases should be linked with the interest rate in force on General Provident Fund Accounts of the Government employees from time to time. Even today as on the date of issue of these instructions, the admissible interest rate on GPF accumulation is 9.5% which is higher than the rate of interest being offered by all banks on term deposits. Accordingly, the rate of interest should be applied at the rate in force on GPF of Government employees relevant to the period for which such interest becomes payable.

7. These instructions shall take effect from the date of issue and may be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Sd/-
(Y.S.Malik)
Commissioner & Special Secretary
To Government of Haryana,
Finance Department.

contd.....

Endst.No.3E-2002/ 37955-8016 Dated: 22-7-02

A copy is forwarded to the Executive Officers/Secretaries of all the Municipal Councils/Committees in the Haryana State for strict compliance of these instructions.

Superintendent (Estt.),
for Director, Urban Development,
Haryana, Chandigarh.

Endst.No.3E-2002/ 38017-035 Dated: 22-7-02

A copy is forwarded to all the Deputy Commissioners in the State of Haryana for information and necessary action.

Superintendent (Estt.),
for Director, Urban Development,
Haryana, Chandigarh.

Endst.No.3E-2002/ Dated: -02

A copy is forwarded to the Executive Officers/Secretaries of all the Municipal Councils/Committees in the Haryana State for strict compliance of these instructions.

Superintendent (Estt.),
for Director, Urban Development,
Haryana, Chandigarh.

Endst.No.3E-2002/ 38017-035 Dated: 22-7-02

A copy is forwarded to all the Deputy Commissioners in the State of Haryana for information and necessary action.

Superintendent (Estt.),
for Director, Urban Development,
Haryana, Chandigarh.